पत्र संख्या-आई0टी0-NIC S/W-(Digital_Sig.)-(2016-17) / 1071 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0-अनुभाग)

दिनॉक // लखनऊ // ~~जनवरी~~, 02 फरवरी 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या-1002 / 1617057 दिनॉक 13-01-2017 द्वारा दिनॉक 20-01-2017 तक VYAS Central Application Software में Digital Signature Register किये जाने के सम्बन्ध में सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। मुख्यालय के पत्र संख्या-आई0टी0-NIC S/W-(Digital_Sig.)-(2016-17) / 1052/ वाणिज्य कर दिनॉक 27-01-2017 द्वारा दिनॉक 31-01-2017 तक डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम में Install करने हेतु पुनः निर्देश जारी किये गये हैं।

2- Ease of doing business के अन्तर्गत विभाग में कार्यरत 1877 अधिकारियों को डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर उपलब्ध कराये गये हैं। विभाग के कतिपय अधिकारियों द्वारा मुख्यालय को सूचित किया गया है कि उनके डिजिटल सिग्नेचरं खो गये हैं तथा डुप्लीकेट डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध भी किया गया है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट का प्रयोग एवं उसका रख-रखाव प्रत्येक अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है तथा इसकी संवेदनशीलता के दृष्टिगत यदि किसी अधिकारी का डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट खो जाता है तो स्वयं अधिकारी द्वारा ही अपने व्यय पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट बनवाया जायेगा, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

(i) डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट खो जाने पर अधिकारी को N-Code Soloutions A- Division of GNFC Limited संस्था की वेबसाइट www.ncodesolutions.com से Revocation Form डाउनलोड कर उसे पूर्णरुप से त्रुटि रहित नीली इंक से भरकर तथा DSC खो जाने सम्बन्धी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) की प्रति सहित मुख्यालय को भेजनी होगी।

(ii) मुख्यालय द्वारा DSC Revoke / Block कराने हेतु Revocation Form की Hard Copy चयनित संस्था (N)Code Solutions के कार्यालय भेजी जायेगी तथा फार्म की Scanned copy ra@ncodesolutions.com तथा dscsupport@ncode.in पर ई-मेल भी की जायेगी।

(iii) संस्था द्वारा DSC Revoke / Block होने पर सूचना सम्बन्धित अधिकारी की Registred e-mail ID पर स्वतः चली जायेगी।

(iv) DSC Revoke / Block होने के पश्चात अधिकारी द्वारा संस्था की वेबसाइट www.ncodesolutions.com से डिजिटल सिग्नेचर बनवाने हेतु फार्म डाउनलोड किया जायेगा। निर्धारित फार्म नीली इंक से पूर्णरुप से त्रुटि रहित भरकर फार्म के साथ PAN Card / Smart D.L.व आफिस आई0डी0 कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति तथा DSC बनवानें हेतु निर्धारित शुल्क रुपया 1010/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट "N-Code Soloutions A-Division of GNFC Limited" जो कि Payble at Lucknow के पक्ष में देय होगा, सहित मुख्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें। सुलभ सन्दर्भ हेतु Revocation Form तथा नया डिजिटल सिग्नेचर बनवाये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित फार्म संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः- यथोपरि।

1/02/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर, वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश।